संख्या-293/2021/1155/41-2021-94(बजट)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेले/महोत्सव के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6783/15-1-1648/ट्रै0ट्रे0/2021, दिनांक 12 मार्च, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12- मेले/महोत्सव के आयोजन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि में से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में दिये गये निर्देश, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अब तक धनराशि रू0 666.64 लाख को पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के निम्न शासनादेशों द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रावधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2020-21	133/2020/1215/41-2020-94(बजट)/2018 दिनांक 11.06.2020	1000.00	166.66
2	2020-21	294/2020/4492/41-2020-94(बजट)/2018 दिनांक 11.06.2020 टीसी		166.66
3	2020-21	69/2021/4684/41-2020-94(बजट)/2018 दिनांक 01.02.2021 टीसी		166.66
4	2020-21	208/2021/957/41-2020-94(बजट)/2018 दिनांक 10.03.2021 टीसी		166.66
कुल धनराशि				666.64

3. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 12.03.2021 द्वारा अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 666.64 लाख के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12-मेले/महोत्सव के आयोजन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पंचम किश्त के रूप में धनराशि रू0 166.66 लाख लाख (रूपये एक करोड़ छांछठ लाख छांछठ हजार मात्र) को महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-01/2020/1133/41-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2020-94(बजट)/2020 दिनांक 16 अप्रैलए 2020 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक)ए उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार ही किया जायेगा तथा प्रस्तावित आयोजन हेतु मदवार व्यय का विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा पूर्व वर्षो में इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के आधार पर नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से प्रामाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरित लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उसका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) महानिदेशक पर्यटन द्वारा प्रश्नगत आयोजन के फलस्वरूप पर्यटन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के सापेक्ष अध्ययन कर लिया जायेगा कि इससे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं तथा आगामी वर्ष में इसके विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इस बिन्दु पर भी सम्यक विचार एवं समीक्षा कर ली जाए कि एक ही आयोजन हेतु कितने वर्षो तक अनुदान दिया जाना उचित होगा ताकि अन्य आयोजनों हेतु भी अनुदान दिये जाने पर विचार किया जा सके तथा होने वाले आयोजन मात्र अनुदान पर ही निर्भर न हो सकें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- प्रस्तर-4 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के राजस्व लेखा शीर्ष "3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-मेले/महोत्सव के आयोजन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-7-581/दस-2020, दिनांक 27 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।